कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक /3163/आदि.वि./वन अधि./41/2018 सिंगरौली दिनांक 4.9.18

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं संषोधित नियम 2012 अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20.08.2018 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत आज दिनांक 20.08.2018 को कलेक्टर जिला–सिंगरौली की अध्यक्षता में शायं 11:00 बजे से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे।

1. श्री अनुराग चौधरी कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
2. श्री ए.एस. तिवारी वन मण्डलाधिकारी/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
3. श्री संजय खेडकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,/सचिव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।

–00–

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूम के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावों का निराकरण किया जाना है।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–01 अनुसार कर्थुआ से चितरंगी सड़क निर्माण हेतु वन भूमि के कक्ष क्रमांक RF 849, RF 843, RF 841, RF 862, RF 863, RF 795, RF 792, RF 14, RF 15, एवं RF 16 कुल रकबा 4.931 हे0 प्रभावित हो रहा है। प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार अधोसंरचना एवं हितग्राही प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(कार्यवाही जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली)

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–02 अनुसार सुलियरी कोल माईंस (एपीएमडीसी) परियोजना हेतु वन भूमि के कक्ष क्रमांक R 338, R 358, R 359, P 315 एवं राजस्व भूमि आमडांड़ कुल रकबा 259.239 हे0 प्रभावित हो रहा है। प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार अधोसंरचना एवं हितग्राही प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(कार्यवाही जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली)

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–03 अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग ग्राम मनिहारी से जे.पी. मझौली हेतु वन भूमि के कक्ष क्रमांक RF 253 कुल रकबा 2.50 हे0 प्रभावित हो रहा है।

Tel : (कार्या.) 07805-234661, (निवास) 244110, फैक्स : 07 805-234661, Email : actrisin@mp.gov.in, actwdsing@gmail.com

उपरोक्त प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार अधोसंरचना एवं हितग्राही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदन दिया गया एवं तत्काल प्रमाण प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली)

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली

पृ.क्रमांक /3164 / आदि.वि. / वन अधि. / 41 / 2018 सिंगरौली दिनांक 4.9.18

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें म.प्र. भोपाल।
2. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग रीवा।
3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली।
4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला–सिंगरौली।
5. महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र–2 बैढ़न।
6. परियोजना प्रबंधक, सुलियरी कोल माईन (एपीएमडीसी) जिला–सिंगरौली।
7. अनुविभागीय अधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, बैढ़न।
8. उप वनण्डलाधिकारी / सदस्य उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, बैढ़न।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, बैढ़न।

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली

Tel : (कार्या.) 07805-234661, (निवास) 244110, फैक्स : 07 805-234661, Email : actrisin@mp.gov.in, actwdsing@gmail.com